न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 291 / 2024

अनवान : –

1. गोविन्द पुत्र हरदत्त उम्र 17 वर्ष जाति जाट निवासी चक 165 आर.डी. सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ जरिये नाबालिगान संरक्षिका माता आशादीप पत्नि हरदत्त जाति जाट साकिन वार्ड सं. 07 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. हरदत पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी चक 165 आर.डी. सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजेन्द्र पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी चक 165 आर.डी. सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. सुमन पुत्री हरदेवाराम जाति जाट निवासी चक 165 आर.डी. सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. सावित्री देवी पत्नि हरदेवाराम जाति जाट निवासी चक 165 आर.डी. सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
6. पंजीयक कार्यलय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री सुनील धिंटाला अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 31/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 10/7 के ख.न. 12 की 3.1630 हैक्टर भूमि ख.न. 4 की 2.1500 हैक्टर भूमि ख.न. 5. की 4.9590 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 10.2720 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें हरदेवाराम सायल के दादा का 1/27 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 6/8 के ख.न. 6/1 की 6.2240 हैक्टर भूमि में सायल के दादा हरदेवाराम के नाम 1271/62240 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:38:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 10/7 की 10.2720 हैक्टर भूमि मे से 1/27 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 6/8 की कुल 6.2240 हैक्टर भूमि में से 1271/62240 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की ' सायल गैर सायल संख्या 01 का पुत्र नही है क्योकि गैर सायल संख्या 01 ने सायल की माता से कभी शादी नहीं की थी तथा सायल की गाता की शादी गैर सायल संख्या 01 से ना होना वर्ष 2003 में जारी राशन कार्ड संख्या 200003175435 इस बात का साक्ष्य है कि सायल की माता आशादीप पत्नी बृजलाल है जो कि बीपीएल सर्वे कमाक 289/3 चयन वर्ष 2003 दर्ज है। जब उत्तरदाता ने शादी ही नहीं की और कोई सन्तान ही नही है तो सायल उंतरदाता की सम्पति मे हक–हिस्सा की मांग कैसे कर सकता है। राशन कार्ड साक्ष्य से साबित होता है, कि सायल की माता आशा दीप किसी बृजलाल नाम के व्यक्ति की पत्नी है। इसलिए उत्तरदाता सायल की माता के साथ मारपिट करके अपने घर से कैसे निकाल सकता है तथा जब आशा दीप उत्तरदाता की पत्नी ही नहीं है तो हायल उत्तरदाता से कैसे पैदा हो सकता है और जब सायल उत्तरदाता का पुत्र ही सही है तो उत्तरदाता की भूमि मे हक हिस्सा की मांग नहीं कर सकता है। इसलिए उक्त वाद न्यायलय को भ्रमित करने के लिए दायर किया गया है। उत्तरदाता एक मजदुरी पैशा व्यक्ति है। जो कि अपनी भूमि में काश्त मजदुरी करके अपना व अपनी माता का भरण–पोषण करता है तथा आशा दीप से कभी भी शादी नहीं की और आशा दीप बृजलाल के व्यक्ति की पत्नी है। जो कि उत्तरदाता से अलग पितर जी मंदिर के पास वार्ड नंबर 05 सूरतगढ़ में निवास करती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

अप्रार्थी का कथन है कि परिवार राशन कार्ड में आशादीप बृजलाल की पत्नी है न की हदरत की जब आशादीप हरदत की पत्नी ही नही है तो गोविन्द भी हरदत का पुत्र नही है गोविन्द बृजलाल का पुत्र है जबकि अधिवक्ता प्र[illegible] प्रस्तुत आधार कार्ड में आशादीप पत्नी हरदतराम दर्ज है एवं गोविन्द के [illegible]लिका में भी गोविन्द पुत्र हरदत दर्ज है गोविन्द हरदत का [illegible]रण मूल वाद में तय होना है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान [illegible]स्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:38:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण एवं गोविन्द हरदत का पुत्र है या नही का निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः प्रथम दृष्टया विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है या नही का निर्धारिण मूल वाद में तय होना है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 10/7 की 10.2720 हैक्टर भूमि मे से 1/27 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 6/8 की कुल 6.2240 हैक्टर भूमि में से 1271/62240 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 31/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:38:03 IST
Reason: SelfAttested